कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश)

पत्रांकः 3231 /वाद संख्याः सी–1042/एस–थानों/2026

02/11/26

श्री गुप्ता
निवासी–सोडा सरोली थानों रायपुर मार्ग,
देहरादून।

विषय– मा0 उच्चतम न्यायालय SLP (C) संख्या 8044–8045/2025 लोंगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य के अनुपालन में प्राधिकरण के वाद सख्या सी–1042/एस–थानों/2026 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक विपक्षी **श्री गुप्ता निवासी– सोडा सरोली थानों रायपुर मार्ग,देहरादून** द्वारा स्थल, पर प्राधिकरण से बिना अनुमति प्राप्त किये लगभग 15 गुणा 10 फीट के क्षेत्रफल में व्यवसायिक दुकान का निमार्ण किये जाने के कारण विपक्षी के विरूद्व प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.10.2026 को विपक्षी के विरूद्ध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के अन्तर्गत कारण बताओं एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुए वाद संख्या सी–1042/एस–थानों/2026 योजित किया गया। उक्त वाद में सुनवाई हेतु दिनांक 16.10.2026 एवं 22.10.2026 की तिथि नियत की गयी। जिसमें विपक्षी अनुपस्थित रहे।

आदेश

विपक्षी के उक्त चालानशुदा निर्माण की कोई स्वीकृति न दिखाने एवं व्यवसायिक कार्य करने के कारण मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सील आदेश पारित करते हुए दिनांक 02/12/26 को सील किया जाना है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निस्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।

सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि–

1–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि निर्माण को सील करने की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु निदेर्शित करने का कष्ट करें।
2–नायब तहसीलदार, सदर/डोईवाला/ऋषिकेश देहरादून को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0) देहरादून के पत्र संख्या 1205/विविध–जेए /2024 दिनांक 07.011.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर भाांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को सीलिंग कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।
3– थानाध्यक्ष, रायपुर, / डोईवाला /रानीपोखरी /रायवाला देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।
4–सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
5–नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को सील से सम्बन्धित समस्त सामग्री को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. आई0टी0 अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

24/10/26

सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।